**संख्या- 92/1240/बयालिस-2015-60(विविध)/2014**

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2015**

**विषय :- मा0 चन्दगीराम स्पोर्टस स्टेडियम, सैफई में हाकी एस्ट्रोटर्फ की पुर्नस्थापना निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 110/नि0 सैफई हाकी एस्ट्रो0/2015-16, दिनांक 08 मई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय मा0 चान्दगीराम स्पोर्टस स्टेडियम, सैफई में हाकी एस्ट्रोटर्फ की पुर्नस्थापना निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 488.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वर्ष- 2015-16 में नयी मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 460.00 लाख की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 460.00 लाख निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3)- प्रायोजना का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी वर्ष- 2014 की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर0 2014 के आधार पर किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलित नहीं है उन्हें बाजार दरों पर विश्लेषित कर लिया गया है। तदनुसार प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकंलन किया गया है।

(4)- प्रायोजनान्तर्गत हाकी सिन्थेटिक टर्फ की स्थापना का प्राविधान किया गया है। प्रभाग का मत है कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(5)- प्रायोजना प्रस्ताव में पुरानी हॉकी स्ट्रोटफ के पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। अत: पुराने हाकी स्ट्रोटर्फ के पुर्नस्थापना के समय प्राप्त मलवा/पुरानी सामग्री की नीलामी से प्राप्त धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6)- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा। **.....2**

(7)- प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की वर्तमान एवं भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, खेल द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाये।

(8)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(11)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-93-मा0 चन्दगीराम स्पोर्टस स्टेडियम, सैफई में हाकी एस्ट्रोटर्फ की पुर्नस्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

**<u>संख्या- 92/1240(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-</u>**

**<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>**

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानुपर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई (इटावा)।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।